न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/211/2021	2021/507	28.09.2021	14.05.2024

1. मीरा देवी पत्नि श्री बाबूलाल गुप्ता जाति महाजन आयु करीब 71 साल निवासी ग्राम भागंडोली तहसील थानागाजी जिला अलवर

—अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, अलवर राजस्थान।
2. प्रर्वतन निरीक्षक थानागाजी कार्यालय जिला रसद अधिकारी अलवर।

—रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश क्रमांक/रसद/2021/12324 दिनांक 29.11.2021 जिला रसद अधिकारी अलवर जिसके द्वारा अपीलाण्ट के उचित मूल्य दुकानदार कोड 25174 ग्राम हरनेर तहसील थानागाजी जिला अलवर के प्राधिकार पत्र को निलम्बित किया गया।

उपस्थितः—
01—श्री मोहन सिंह नरूका —वकील अपीलांट

—:निर्णयः—

जिला रसद अधिकारी अलवर के आदेश क्रमांक/रसद/2021/12324 दिनांक 29.11.2021 जिसके द्वारा अपीलान्ट के उचित मूल्य दुकानदार कोड 25174 ग्राम हरनेर, तहसील थानागाजी, जिला अलवर के प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिये नोटिस तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलांटान द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनाक 29.11.2021 को पारित किया गया है जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 03.12.2021 को आदेश प्राप्त होने पर हुई जिससे अपील अपीलाण्ट न्यायालय में अब बिना किसी देरी के पेश किया जा रही है। मौजूदा अपील आदेश दिनांक 29.112021 के विरूद्ध बिना किसी देरी के पेश की जा रही है, जो अन्दर अवधि पेश है। तहत कार्यालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्त होने योग्य है। रैस्पोडेण्टान द्वारा अपीलाण्ट के राशन वितरण प्राधिकार पत्र कोड संख्या 25174 को अपने आलोच्य आदेश के द्वारा निलम्बित किया गया है जिस आलोच्य आदेश में यह अकिंत किया गया है कि रैस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा मौके पर जांच की गई जांच मे पाई अनियमितताओ के कारण उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाता है। आलोच्य आदेश जारी करने से पूर्व रैस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा किस शिकायत पर जांच हेतु रैस्पोडेण्ट संख्या 02 को मौके पर भेजा गया उसका कोई उल्लेख आदेश में नहीं किया गया ना ही प्रर्वतन निरीक्षक की जांच रिर्पोट का कोई उल्लेख आलोच्य आदेश मे किया गया है जिससे आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। आलोच्य आदेश जारी करने से पूर्व जांच की सत्यता के सम्बन्ध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं ली गई ना ही अपीलाण्ट को जांच पर

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया और मनमाने तरीका से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। रैस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध अनियमितता की शिकायत होना जाहिर कर जांच करना जाहिर किया है तथा रैस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा जांच दिनांक 10.11.2021 को करना जाहिर किया गया है जबकि वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट दिनांक 10.11.2021 को तबीयत खराब होने के कारण डाक्टर को दिखाने के लिए गई हुई थी और दिनांक 10.11.2021 को अपीलाण्ट की दुकान बन्द थी तो रैस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा किस प्रकार अनियमितता एवम रिकार्ड की जांच जो तथ्य संदेहास्पद है चूंकि जब अपीलाण्ट की दुकान बन्द थी तो जांच हेतु कब और कहाँ पर पहुंच कर रैस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा रिकार्ड की जांच की का कोई उल्लेख नहीं किया गया। रैस्पोडेण्टान द्वारा आलोच्य आदेश मनमाने तरीका से बिना मौके पर जांच बिना वास्तविक तथ्यो की जांच की नुमाईशी मौका जांच रिर्पोट तैयार करके जारी किया गया है, आलोच्य आदेश का प्रचलन को अपास्त नहीं किया जाता है तो अपीलाण्ट का एक मात्र आय का साधन बन्द हो जावेगा और अपीलाण्ट के भूखा मरने की नौबत आ जावेगी। इस सम्बन्ध शेष अहम तथ्य वक्त बहस न्यायालय को जुबानी अर्ज किया जावेगा। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर रैस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा प्रसारित आलोच्य आदेश आदेश क्रमांक/रसद/2021/12324 दिनांक 29.11.2021 जिला रसद अधिकारी अलवर को अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलांट की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को दिनांक 29.11.2021 को कारण बताओं नोटिस जारी कर प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलंबन करने के बाद अपीलान्ट द्वारा दिनांक 06.12.2021 को न्यायालय हाजा में निलंबन के विरूद्व अपील पेश की गई। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील पेश करने के बाद दिनांक 20.12.2021 को कारण बताओं नोटिस का जवाब पेश किया गया। जब अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील पेश कर दी गई थी, तो अधिनस्थ न्यायालय में जवाब किस आधार पर पेश किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में बिना जवाब पेश किये अपील पेश की गई है। जबकि अपीलान्ट को जवाब पेश करने के बाद अधिनस्थ न्यायालय के अंतिम निर्णय के उपरान्त इस न्यायालय में अपील पेश की जानी चाहिए थी, लेकिन अपीलान्ट द्वारा अंतिम निर्णय से पूर्व ही अपील पेश कर दी गई। अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण परिपत्र से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा 9224.7 किग्रा गैंहू का दुरूपयोग किया गया है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.11.2021 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, अलवर
जिला कलक्टर
अलवर (राज०)